

प्ररूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

राजस्थान (राज्य) के 16-जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, मकान न. A-34 अजीत कोलोनी रातानाडा जोधपुर, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जोधपुर
तारीख: 04.06.2024



(गौरव अग्रवाल)
रिटर्निंग अधिकारी,
16-जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र,
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर)
गौरव अग्रवाल
रिटर्निंग ऑफिसर
16-जोधपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर)

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the House of the People from the 16-Jodhpur Parliamentary Constituency in the Rajasthan (State).

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT, HOUSE NO. A-34 AJEET COLONY RATANADA JODHPUR, sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Jodhpur

Date: 04.06.2024



(GAURAV AGRAWAL)
Returning Officer
16-Jodhpur Parliamentary Constituency
(District Collector & District Magistrate,
Jodhpur)
Returning Officer
16-Jodhpur Parliamentary Constituency
(District Collector and
District Magistrate, Jodhpur)